न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :—137/2022

1. रायसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निः 5 केवाईडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

आदेश दिनांक :—

यह प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है प्रार्थी के नाम से वाके चक 2 डीडब्ल्युडी का मु0नं0 129/21, 26 में कुल 6.3731 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि प्रार्थी को विशेष आवंटन में आवंटित हुआ था। प्रार्थी का सही नाम रायसिंह पुत्र हंसराज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में रामसिंह पुत्र हंसराज अंकित है तो कि गलत है। प्रार्थी की मूल पत्रावली में प्रार्थी का सही नाम रायसिंह अंकित किया गया था जबकि बाद में आवंटन आदेश के समय प्रार्थी का गलत नाम रामसिंह ही अंकित कर दिया गया जिसके कारण आजतक राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम रामसिंह ही अंकित है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि करवाकर अपना सही नाम रायसिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथन को साबित करने के लिए साक्ष्य/सबूत के तौर पर पहचान दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचयपत्र, ग्राम पंचायत किशनपुरा उतराधा तस्दीक, स्वंय का शपथपत्र व इस रकबे की मूल आवंटन पत्रावली प्रमाणित प्रतिलिपि जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट बीकानेर के नकल [illegible] 757 दिनांक 20.09.22 प्रस्तुत किये। तहसीलदार खाजूवाला [illegible]/2022/2095 दिः 04.10.22 ली गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/21, 26 में कुल 6.3731 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि रामसिंह पुत्र हंसराज जाति जाट निः 5 केवाईडी तहः खाजूवाला खातेदार दर्ज है। उक्त रकबा इसी नाम से आवंटन हुआ था कि आजदिनांक तक रामसिंह नाम से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व उक्त रकबे की मूल आवंटन पत्रावली और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया । मूल आवंटन पत्रावली में प्रार्थी के आवेदन में रायसिंह नाम अंकित है व हस्ताक्षर भी अंकित है। मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है प्रार्थी के आवेदनपत्र, आवंटन आदेश में नाम हस्तलिखित होने तथा रायसिंह व रामसिंह देखने में मिलते–जुलते शब्दों के कारण लिपिकीय त्रुटि से रायसिंह की जगह रामसिंह नाम आवंटन आदेश में अंकित हो गया होगा, जिससे आवंटन आदेश के आधार पर आगे से आगे प्रविष्टि में रायसिंह की जगह रामसिंह की अंकित होता रहा इसलिए वर्तमान रिकॉर्ड में भी वहीं नाम अंकित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं एवं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम रायसिंह की जगह रामसिंह सहवन से गलत दर्ज हुआ है जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र तहसीलदार रिपोर्ट व मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामसिंह की जगह रायसिंह उर्फ रामसिंह नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेशित की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested